



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233693
CG-DL-E-23022022-233693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 58]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2022

(i) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (ii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (iii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; (iv) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035; (v) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036; तथा (vi) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2037 का निर्गम।

फा. सं. 4(17)—बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020.—भारत सरकार, दिनांक 24 फरवरी, 2022 को (i) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (ii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (iii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; (iv) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035; (v) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036; तथा (vi) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2037 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :-

(i) इसके अनुबंध में उल्लिखित प्रतिभूतियों में केवल पंजाब एंड सिंध बैंक (सरकारी क्षेत्र का बैंक) इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा तथा प्रतिभूतियों में उसका अभिदान अनुबंध में उसके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।

(ii) उपर्युक्त अनुबंध में उल्लिखित प्रतिभूतियों में पंजाब एंड सिंध बैंक (सरकारी क्षेत्र का बैंक) के अलावा, किसी अन्य बैंक, कंपनी, कॉरपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम मूल्य एवं तारीख:-

- (i) विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंक द्वारा किए गए आवेदन में इंगित किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।
(ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंक से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख अर्थात् फरवरी 24, 2022 होगी।

3. प्रतिभूति का स्वरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में अनुरक्षित निवेशकर्ता बैंक के अनुषंगी आम बही खाते के नाम करके "प्रतिभूति" के रूप में जारी किया जाएगा।

4. ब्याज एवं चुकौती :-

विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख को प्रतिदेय होंगी। विशेष प्रतिभूतियां ब्याज रहित होंगी और प्रतिभूतियां जारी करने पर कोई व्यय देय नहीं होगा। विशेष प्रतिभूतियों पर चुकौती मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। सरकारी विशेष प्रतिभूतियों का ब्यौरा निम्नानुसार होगा:

क्रम संख्या	प्रतिभूति	परिपक्वता की तारीख
1.	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032	24 फरवरी, 2032
2.	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033	24 फरवरी, 2033
3.	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034	24 फरवरी, 2034
4.	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035	24 फरवरी, 2035
5.	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036	24 फरवरी, 2036
6.	ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2037	24 फरवरी, 2037

5. हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तन:-

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की भी अनुमति नहीं होगी।

6. सांविधिक प्रावधान:-

जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है, जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसी विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 2007 द्वारा अभिशासित होगी।

7. कर कानूनों की प्रयोजनीयता:-

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज का मूल्य समय-समय पर यथा-प्रयोज्यकर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :-

पंजाब एंड सिंध बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक) द्वारा विशेष प्रतिभूति में किए गए निवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि निवेशकर्ता बैंक पर लागू सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंक द्वारा ऐसा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करना अपेक्षित होता है।

9. एचटीएम प्रास्थिति :-

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, विशेष प्रतिभूतियां बिना किसी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

अनुबंध**[संदर्भ फा.सं.4(17)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 दिनांक 23 फरवरी, 2022]**

सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम एवं प्रतिभूतियों का आबंटन (i) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (ii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (iii) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; (iv) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035; (v) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2036; तथा (vi) ब्याज रहित (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2037, इस प्रकार है:

क्र.सं.	बैंक का नाम	परिपक्वता वर्ष						आबंटित राशि (₹ करोड़)
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	पंजाब एंड सिंध बैंक	770	766	766	766	766	766	4,600
	कुल	770	766	766	766	766	766	4,600

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार
आशीष वच्छानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2022

Issue of (i) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security, 2032; (ii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (iii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2034; (iv) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2035; (v) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2036; and (vi) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2037.

F. No. 4(17)-B(W&M)/2020.—Government of India hereby notifies the issue of (i) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security, 2032; (ii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (iii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2034; (iv) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2035; (v) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2036; and (vi) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2037, (hereinafter briefly described as the “Special Securities”) on February 24, 2022.

1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:

(i) Punjab & Sind Bank (Public Sector Bank) as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and its subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown in the Annexure.

(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except Punjab & Sind Bank (Public Sector Bank) as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. Price and Date of Issue:

- (i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible bank.
- (ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the eligible bank i. e. February 24, 2022.

3. Form of Security:

The special securities will be issued in the form of "Security" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. Interest and Repayment:

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. The special securities shall be Non-interest bearing and no interest shall be payable on issue of the securities. Repayment of the Special securities will be made at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai. The details of Government Special Securities shall be as follows:

S. No.	Nomenclature of the Securities	Date of maturity
1.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special GoI Security 2032	Feb.24, 2032
2.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special GoI Security 2033	Feb.24, 2033
3.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special GoI Security 2034	Feb.24, 2034
4.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special GoI Security 2035	Feb.24, 2035
5.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special GoI Security 2036	Feb.24, 2036
6.	Non-interest bearing (Non-Transferrable) Special GoI Security 2037	Feb.24, 2037

5. Transferability and Conversion:

The special securities shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the Special Security will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time-to-time.

8. Eligibility of Investment in Special Securities:

The investment in the special securities by Punjab & Sind Bank (Public Sector Bank) would not be considered as an eligible investment which is required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing bank.

9. HTM Status:

As per RBI Circular DBR No BP.BC.6 /21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by investing Bank, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

Annexure**[Ref. F. No.4(17)-B(W&M)/2020 dated February 23, 2022]**

Name of the Public Sector Bank and Allocation of Securities (i) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security, 2032; (ii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (iii) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2034; (iv) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2035; (v) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2036; and (vi) Non-interest bearing (Non-transferable) Special Gol Security 2037, is as under:

S. No.	Name of the Bank	Maturing in Year						(₹ crore)
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	Amount Allocated
1	Punjab & Sind Bank	770	766	766	766	766	766	4,600
	Total	770	766	766	766	766	766	4,600

By Order of the President of India
ASHISH VACHHANI, Jt. Secy.